रांची में, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

1.	राजकीय श्रावणी मेला–2024 के मद्देनजर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक–20.07.2024 से दिनांक–19.08.2024 तक 27 (सत्ताईस) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 17 (सत्रह) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन के संबंध में।	*1.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

2.	मोबाईल फोन की सुविधा के संबंध में।	*2.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

3.	NPS Tier-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन के संबंध में।	*3.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.	शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग अन्तर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने के संबंध में।	*4.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

5.	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने के संबंध में।	*5.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)

6. पंचम झारखण्ड विधान सभा का षोडश (विशेष) सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — *6.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरान्त स्वीकृति)

योजना एवं विकास विभाग

7. श्री स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा को योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। — *7.* **स्वीकृत।**

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

8. तमिलनाडु राज्य में झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गये SRMI एवं Migrant Control Room के प्रतिनिधि श्री आकाश कुमार एवं श्रीमती शिखा लकड़ा के द्वारा की गई वायुयान यात्रा पर किये गये व्यय की राशि का भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — *8.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरान्त स्वीकृति)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

9. झारखण्ड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 के संबंध में। — *9.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

10. झारखण्ड के 132 के०वी० एवं इससे अधिक के ग्रिड सब–स्टेशनों एवं संचरण लाईन में OPGW आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति के संबंध में। | *10.* **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

11. झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने संबंधी योजना की स्वीकृति के संबंध में। | *11.* **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

12. "मुख्यमंत्री बहन बेटी मई–कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना" के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति। | *12.* **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

13. झारखण्ड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 05 (पाँच) इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1019, दिनांक–31.03.2022 को संशोधित करने के संबंध में। | *13.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

14. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख–रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु "मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना" की स्वीकृति के संबंध में।	*14.* **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

15. झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राँची के विघटन, उसके अधीन कार्यरत कर्मियों का समायोजन तथा आस्तियों का निस्तारण की स्वीकृति।	*15.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम–245 के तहत राज्यहित में राँची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के माध्यम से पुनर्चक्रण (Recycle) के Pilot study किए जाने हेतु DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के निमित्त केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CMERI), दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	*16.* **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

17. पलामू जिला के पण्डवा एवं नावा बाजार अंचल अन्तर्गत अवस्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माईन्स के 116.80 हे० क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा० लि० के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में। *17.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

18. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) द्वारा प्रस्तावित पाँच वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक फेलोशिप (आईएएफ) के रूप में सेवाएँ प्रदान करने की स्वीकृति तथा मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या–779, दिनांक–16.03.2024 में आंशिक संशोधन के संबंध में। *18.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

19. राज्य अन्तर्गत विभिन्न थाना एवं ओ०पी० के सृजन के संबंध में। *19.* **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

20. W.P.(S) No.-3095/2021 विद्यानाथ मिश्र बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक–17.08.2022 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में, वादी श्री विद्यानाथ मिश्र, सेवानिवृत भण्डारपाल रूपांतरण प्रमण्डल संख्या–02, मेदिनीनगर को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक–63, दिनांक–24.01.2014 द्वारा दिनांक–25.08.2011 के प्रभाव से पूर्व प्रदत्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य लाभ की स्वीकृति के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

21. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WPS No.-2313 of 2021 से उद्भूत Cont. Case No.-301/2022 अखिलेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक–16.05.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए श्री अखिलेश शर्मा, सेवानिवृत्त राज्य कर अपर आयुक्त को पद उपलब्धता की तिथि से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर सभी आर्थिक लाभों सहित प्रोन्नति प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

21. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

22. राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या–737/वि०, दिनांक–27.03.2018 (यथा संशोधित) में संशोधन के संबंध में। *22.* **स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय)

23. सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंगेजी पाठ में संशोधन के संबंध में। *23.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

24. झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु निर्गत ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–277, दिनांक 17.02.2022 में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। *24.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

25. राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में। *25.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

26. 220 के०वी० गोविन्द–दुमका संचरण लाईन का 400/220 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन में लिलो संचरण लाईन के कार्यान्वयन हेतु निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलिकरण के संबंध में। *26.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

27. झारखण्ड पुलिस अंतर्गत Transport Recruitment Process के तहत होनेवाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए R.F.I.D CHIP एवं अन्य Electronic उपकरण के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म M/S Timing Technologies India Pvt. Ltd., Hyderabad को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित किये जाने के संबंध में। *27.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

28. झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि॰ के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड–सब स्टेशन एवं एस०एल०डी०सी० में SAMAST परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 53,73,98,185/– की प्रशासनिक स्वीकृति एवं झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि॰, झारखण्ड सरकार एवं Nodal agency for PSDF (NLDC) के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में। *28.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

29. फरक्का–ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम के पुर्नस्थापित करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु0 14.92 करोड़ को पुनर्स्थापित करते हुए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु0 28,16,00,499/– की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। *29.* **स्वीकृत।**

<u>गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग</u>

30.	झारखण्ड कारा एवं सुधार सेवाएँ विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill-2024) झारखण्ड विधानसभा में पुरःस्थापन के संबंध में।	*30.* **स्वीकृत।**

(एल० खियांग्ते)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड